न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 277/2014

बउनवान

मॉगीलाल पुत्र रामकल्याण जाति–मीणा निवासी–उम्मेदगंज तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

<u>अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

<u>निर्णय दिनांक– 22.02.2018</u>

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–उम्मेदगंज, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 432 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै.मु.खाल पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 110/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आराजी अपीलांट के खाते की आरजी से लगवां भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर सजायाब करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.3. 2014 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट को बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलांट के खेत से लगवां भूमि है। अपीलांट ने जानकारी होने हीं उक्त

Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते
न्यायालय जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रफार्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 205/12 निर्णय दिनांक 15.3.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु खाल है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 205/12 निर्णय दिनांक 15.3.2012 में भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 307/2014 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)